

[7/8/2025]

प्रश्न सं. [क. 3073]

परिशिष्ट-अ

क्र.	माह 2024-25	विभाग द्वारा जारी राशि दिनांक
1	अप्रैल 24	16.04.2024
2	मई 24	10.05.2024
3	जून 24	20.06.2024
4	जुलाई 24	15.07.2024
5	अगस्त 24	13.08.2024
6	सितम्बर 24	12.09.2024
7	अक्टूबर 24	16.10.2024
8	नवम्बर 24	28.10.2024
9	दिसम्बर 24	13.12.2024
10	जनवरी 25	15.01.2025
11	फरवरी 25	19.02.2025
12	मार्च 2025	26.03.2025
	योग	

नगरपालिका विकास एवं आवास विभाग
नगरपालिका विकास विभाग
नगरपालिका विकास विभाग

Junior Account Officer
Directorate Urban Ad. & Dev
M.P., Bhopal

उक्त विभाजनीय कोष की राशि में से 0.25 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार पात्र नगरीय तथा ग्रामीण निकायों को प्रोत्साहन राशि के रूप में अतिरिक्त दिये जाने का निर्णय लिया गया।

विभाजनीय कोष की गणना संबंधित वित्तीय वर्ष के निकटतम पूर्व वर्ष, जिसके वित्त लेखे उपलब्ध हों, के अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया। उदाहरण स्वरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये विभाजनीय कोष की गणना इसके पूर्व वित्तीय वर्ष जिसके वित्तीय लेखे उपलब्ध हों, यानि वर्ष 2020-21, के अनुसार की जाएगी।

ग्राम पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के मध्य राशि के विभाजन तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज निकायों तथा तीन प्रकार के नगरपालिक निकायों के बीच राशि का आवंटन की अनुशंसा से राज्य शासन सैद्धांतिक रूप से सहमत है।

6.1.2 अन्य वित्तीय अनुशंसाएं:-

1. आयोग द्वारा नगरीय निकायों को दिए जाने वाले प्रवेश कर पर वर्ष 2018-19 के प्रावधान पर न्यूनतम 14% वार्षिक वृद्धि करते हुए इसका हस्तांतरण वर्ष 2024-25 तक जारी रखने के संबंध में अनुशंसा की गई है।

राज्य शासन द्वारा प्रवेश कर के संबंध में नगरीय निकायों को प्रदाय की जा रही सहायता को वर्ष 2020-21 के स्तर पर स्थिर रखा जाकर दिए जाने का निर्णय लिया गया।

2. आयोग की अनुशंसा में यात्री कर एवं निर्यात कर की राशियों को समेकित करने तथा वैट कर पर 2020-21 की राशि बजट अनुमान 2018-19 से 30% बढ़ाकर नियत किये जाने तथा वैट कर पर सरल वार्षिक वृद्धि 15% करते हुए इसका हस्तांतरण वर्ष 2024-25 तक जारी रखने के संबंध में अनुशंसा की गई है।